

भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किये

स्रोत: पी. आई. बी.

भारत सरकार ने हाल ही में सऊदी अरब साम्राज्य (KSA) के साथ वर्ष 2024 के लिये द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो वार्षिक हज यात्रा की सुविधा में एक महत्वपूर्ण विकास है।

- भारत से वर्ष 2024 के हज के लिये कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसमें 1,40,020 सीटें भारतीय हज समिति हेतु और 35,005 सीटें हज समूह संचालकों (Haj Group Operators) के लिये आरक्षित हैं।
- समझौता महरम (पुरुष साथी) के बिना महिला तीर्थयात्रियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार की पहल की भी सराहना और समर्थन करता है।

हज यात्रा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- हज सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की एक पवित्र तीर्थयात्रा है जिसे प्रत्येक वयस्क मुसलमान को अपने जीवनकाल में कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिये। यह इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है।
 - इस्लाम के अन्य स्तंभ:
 - शहादा (वशिवास): ईश्वर की एकता में वशिवास की घोषणा और मुहम्मद को अल्लाह के पैगंबर के रूप में स्वीकार करना।
 - सलाह (प्रार्थना): मक्का में काबा के सामने पाँच दैनिक प्रार्थनाएँ करना।
 - जकात (दान): अपने धन का एक हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों को देना।
 - सावन (उपवास): रमज़ान के महीने के दौरान उपवास।
- हज इस्लामिक माह धू अल-हज्जाह के दौरान होता है और पाँच से छह दिनों तक किया जाता है।
- तीर्थयात्री समानता और पवित्रता के प्रतीक के रूप में साधारण सफेद वस्त्र (इहराम) पहनते हैं।
- तीर्थयात्री काबा की परिक्रमा करते हैं, जो ग़रूँड मस्जिद में एक काली घन संरचना है, सात बार वामावर्त दशा में और उसके कोने पर स्थित काले पत्थर को चूमते हैं या छूते हैं।
 - इस अनुष्ठान को तवाफ कहा जाता है, जिसका अरबी में अर्थ है "गोल-गोल घूमना"।

भारतीय तीर्थयात्रियों के लिये हज यात्रा

- भारतीय तीर्थयात्रियों के लिये हज यात्रा या तो हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCoi) के माध्यम से आयोजित की जाती है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन है या फरि मंत्रालय द्वारा वधिवित रूप से अनुमोदित हज समूह आयोजकों (HGO) के माध्यम से किया जाता है।
 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में हज यात्रा संचालित करने वाला नोडल मंत्रालय है।
- भारतीय हज समिति (HCI) की स्थापना वर्ष 2002 में हज समिति अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी।
 - सऊदी अरब में एचसीआई तीर्थयात्रियों के लिये व्यवस्था के सभी पहलुओं का समन्वय भारत के महावाणिज्य दूतावास (CGI), जेद्दा, सऊदी अरब द्वारा किया जाता है।